भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2933

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

भूमिगत कोयला खनन के लाभ

2933. श्री अनूप संजय धोत्रेः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भूमि उपयोग, पर्यावरणीय स्थिरता और परिचालन की सुरक्षा के संदर्भ में खुले खदान खनन की तुलना में भूमिगत कोयला खनन के क्या लाभ हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में भूमिगत कोयला खनन को प्रोत्साहित करने या बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोई नई नीतिगत पहल की है;

(ग) यदि हाँ, तो प्रस्तावित प्रोत्साहनों, नीतिगत लक्ष्यों और कार्यान्वयन रणनीतियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान देश के कुल कोयला उत्पादन में भूमिगत खनन का अनुपात/हिस्सा कितना है और सरकार द्वारा इसके हिस्से को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): भूमिगत कोयला खनन से विशेष रूप से पर्यावरणीय, भूमि-उपयोग और सामाजिक दृष्टिकोण से कई लाभ होते हैं। चूँकि भूमिगत खनन से सतही संरचनाओं को न्यूनतम क्षति होती है, इसलिए इससे अवसंरचना, कृषि भूमि, वनों और आवास क्षेत्रों को कम नुकसान होता है।

पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, भूमिगत खनन, ओपनकास्ट खनन की तुलना में काफ़ी कम धूल और ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है। यह गहरे कोयला भंडारों के निष्कर्षण के लिए भी अधिक उपयुक्त है, जो प्राय: उच्च गुणवत्ता के होते हैं। इसके अलावा, भूमिगत खनन सतही फूटप्रिंट कम छोड़ता है, जिससे भूमि क्षरण और वनस्पति के नुकसान से जुड़ा अप्रत्यक्ष ग्रीनहाउस गैस

उत्सर्जन कम होता है।

इसके अतिरिक्त, भूमिगत खानें आमतौर पर भारी बारिश या बाढ़ जैसी प्रतिकूल मौसम स्थितियों के प्रति कम संवेदनशील होती हैं, जो सतही खनन प्रचालनों को बाधित कर सकती हैं। यह बदलती जलवायु परिस्थितियों के कारण पूरे वर्ष भूमिगत खनन को अपेक्षाकृत सुरक्षित बनाता है।

(ख) और (ग): जी, हां। सरकार ने भूमिगत कोयला खनन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। इस संबंध में, राजस्व-शेयरिंग आधार पर कोयला/लिग्नाइट की बिक्री के लिए कोयला और लिग्नाइट खानों/ब्लॉकों की नीलामी हेतु दिनांक 28.05.2020 की कार्यपद्धति को दिनांक 23.04.2025 के आदेश के तहत संशोधित किया गया है ताकि भूमिगत खानों के लिए विशिष्ट प्रोत्साहन प्रदान किए जा सकें। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. राजस्व शेयर के न्यूनतम प्रतिशत को 2% तक कम करना।
2. अग्रिम राशि की पूर्ण छूट।

ये प्रोत्साहन भूमिगत खनन के लिए आरक्षित कोयला या लिग्नाइट खानों की नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं पर लागू होंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत उपर्युक्त लाभ प्राप्त करने वाले सफल आवंटितियों को खान के जीवनकाल के दौरान किसी भी स्तर पर भूमिगत खान को ओपनकास्ट खान या मिश्रित खान में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ): पिछले पांच वर्षों के दौरान देश के कुल कोयला उत्पादन में भूमिगत खनन से कोयला उत्पादन का अनुपात/हिस्सा नीचे दिया गया है:

वर्ष	कुल कोयला उत्पादन में यूजी उत्पादन का % हिस्सा
2019-20	5.54%
2020-21	4.50%
2021-22	4.26%
2022-23	3.90%
2023-24	3.44%

इसके अतिरिक्त, भूमिगत खनन में प्रतिशत हिस्सा बढ़ाने के लिए, सरकार द्वारा उपर्युक्त पैरा (ख) में यथा-उल्लिखित कदमों सहित, कोयला कंपनियों ने बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकी को अपनाने, खान विकास और प्रचालन (एमडीओ) परियोजनाओं को अपनाने तथा राजस्व शेयरिंग माध्यम के तहत एमडीओ के माध्यम से परित्यक्त/बंद भूमिगत खानों को पुन: प्रचालनरत करने जैसे कदम उठाए हैं।

*****